

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रपत्र

रामेश्वर सिंह,
प्रधान संचालक ।

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 21.02.2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर कोषागार में विपत्रों की संख्या एवं अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि पिछले कई वर्षों से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व ही विधायिका द्वारा पूर्ण बजट स्वीकृत कराया जाता है ताकि सरकार के सभी विभागों को पूरे वर्ष में विभिन्न मदों में उपलब्ध होनेवाली राशि की जानकारी रहे । विभागों से यह अपेक्षा रहती है कि वे वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को राशि का आवंटन कर दें ताकि वर्ष के दौरान कभी भी राशि के अभाव में कोई आवश्यक कार्य बाधित न हो ।

इसके बावजूद यह देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों फरवरी एवं मार्च में कोषागार में अत्यधिक संख्या में विपत्र भेजे जाते हैं । यह स्थिति वित्तीय अनुशासन और कार्य संपादन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है । इससे वर्ष के अंत में उपलब्ध राशि के येन केन प्रकारेण खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अनावश्यक/अनुत्पादक मदों में भी खर्च किया जाता है ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :-

(क) सार विपत्र (ए०सी० विपत्र) पर दो लाख रुपये से अधिक की किसी भी मद (योजना एवं गैर योजना) की राशि की निकासी वित्त विभाग की अनुमति की बगैर नहीं की जा सकेगी ।

(ख) गैर योजना के अन्तर्गत यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, मशीनें एवं उपकरण, सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अपने वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत अथवा 20 फरवरी तक किए गए व्यय का 40 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो की निकासी इस परिपत्र के निर्गत के बाद वित्तीय वर्ष 2014 में की जा सकेगी ।

(ग) सहायक अनुदान मद से निकासी कर अन्य संस्थाओं/एजेंसियों को देने हेतु 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि की निकासी वित्त विभाग की अनुमति के बगैर नहीं की जा सकेगी ।

3. निम्नलिखित मामलों में उपरोक्त प्रतिबंधित लागू नहीं होंगे :-
- (i) तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से संबंधित विपत्र/आवंटनादेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि राशि तृतीय अनुपूरक से आच्छादित है।
 - (ii) बिहार राज्यपाल सचिवालय/बिहार विधानमंडल सचिवालय/उच्च न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/बिहार लोक कार्य संविदा माध्यस्तम न्यायाधिकरण/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग कार्यालयों के विपत्र।
 - (iii) बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान संबंधी विपत्र।
 - (iv) न्यायालय के विशिष्ट आदेश से आच्छादित विपत्र।
 - (v) निर्वाचन कार्य से संबंधित विपत्र।
 - (vi) अनुसूचित जाति उपयोजना से कार्यान्वयन से संबंधित विपत्र।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 2(ख) में वर्णित मदों से संबंधित सभी विपत्र 15 मार्च तक ही कोषागार में प्राप्त किए जाएंगे। यह प्रतिबंध उन मदों/कार्यालयों पर भी रहेगा जिनका उल्लेख उपर्युक्त कंडिका 3 में किया गया है।

विश्वासभाजन,

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान मन्त्रि

सुभाषराज्य दर्शना ।

(कोषागार प्रशासक)

सोपांक 93 दिनांक 26/02/14
 प्रतिलिपि दर्शना कोषागार से संबद्ध सूची निम्नलिखित
 एवं अन्य पदाधिकारियों/निर्वाह पदाधिकारियों को
 सूचना एवं पत्र के त्रिदेशालोक में आवश्यक कार्यवाई
 हेतु प्रेषित ।

(2) प्रतिलिपि:- शिला सूचना एवं अनुसूचित पदाधिकारियों
 दर्शना को शान्ति दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशना के लिए ।

(3) प्रतिलिपि शिला सूचना एवं निम्न पदाधिकारियों दर्शना को
 शिला नवसंश्लेष पर प्रकाशना के लिए प्रेषित ।

(4) प्रतिलिपि कोषागार के लेखापालों एवं लिपिकों को
 अनुपालना के लिए प्रेषित ।

सूची कोषागार पदाधिकारियों
 26/02/14 दर्शना ।

DIT (M)
 P. S. S. S. S.
 26/2/14